फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर ग्रा...

रामपाल वगैरह बनाम सायर वगै०

मुकदमा नम्बर :– 38/2024 वाद

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा व कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	25/11/24	प्र. वादी स्वयं प्रतिवादी केशया ने श्री किशोर को एड. सी.एम. मीणा वकालतनामा पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया। अभिभाषक प्रतिवादी ने वादी का वाद अन्तिम डिक्री किये जाने की सहमति जाहिर की गई है। अभिवक्ता इकरारनामा पेश कर सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद अभिवक्ता इकरारनामा की सहमति के आधार पर वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रूप नम्बर को जमा हो तथा दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–38 / 2024
उनवान–रामपाल वगै0 बनाम सायर वगै0
निर्णय दिनांकः–25.11.2024

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0 / मु0),चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– कनक जैन (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–38/2024

उनवान

1. रामपाल पुत्र स्व0 छीतरमल
2. रमेश पुत्र स्व0 छीतरमल

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

3. चौथी देवी पत्नी स्व0 सायरमल
4. गोपाल पुत्र स्व0 सायरमल
5. मंगलचन्द पुत्र स्व0 सायरमल
6. राजेन्द्र पुत्र स्व0 सायरमल
7. राकेश पुत्र स्व0 सायरमल

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

8. ग्यारसी देवी पत्नी मदनलाल पुत्री स्व0 सायरमल
9. मीरा देवी पत्नी महेश पुत्री स्व0 सायरमल

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

10. आंची देवी पत्नी रमेश पुत्री स्व0 सायरमल
11. संतोष देवी पत्नी कैलाश पुत्री स्व0 सायरमल

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम हरमाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

12. कमला देवी पत्नी कमलेश पुत्री स्व0 सायरमल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. सायर पुत्र लालुपुरी
2. फूलापुरी पुत्र लालुपुरी
3. रामस्वरुप पुत्र लालुपुरी

समस्त जाति गोस्वामी, निवासीयान मठ की ढ़ाणी, ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

4. कमली पत्नी रामूपुरी पुत्री लालुपुरी
5. बरजी पत्नी बंशीपुरी पुत्री लालुपुरी

समस्त जाति गोस्वामी, निवासीयान ग्राम चन्दोली, तहसील पावटा, जिला अलवर।

6. सन्ती पत्नी रामस्वरुप पुरी पुत्री लालुपुरी [illegible] गोस्वामी, निवासी ग्राम खेपरिया, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिये [illegible] तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

8. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स हाल पंजाब नेशनल बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एसबीआई बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. मालीराम पुत्र स्व0 मदनलाल
12. महेश पुत्र स्व0 मदनलाल
13. संतोष पुत्र स्व0 मदनलाल

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

14. बरजी देवी पत्नी सेडूराम पुत्री स्व0 मदनलाल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
15. विमला देवी पत्नी विनोद पुत्री स्व0 मदनलाल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सिवार, जिला जयपुर।
16. गीता देवी पत्नी स्व0 श्रवण पुत्रवधु स्व0 मदनलाल
17. घीसी देवी पत्नी स्व0 मदनलाल
18. ज्योति पुत्री स्व0 श्रवण पौत्री स्व0 मदनलाल
19. मीना पुत्री स्व0 श्रवण पौत्री स्व0 मदनलाल
20. लक्ष्मी पुत्री स्व0 श्रवण पौत्री स्व0 मदनलाल

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 25.11.2024

वादीगण द्वारा वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादीगण कृषि पेशा व्यक्ति हैं जो कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। वाके ग्राम बावड़ी, पटवार हल्का तिगरिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी भूमि हाल खाता सं0 147 के आराजी खसरा नं0 3761 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 3771 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 3772 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 3773 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 3774 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 3775 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 3776 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 3777 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 3782 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 3783 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 3784 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 3785 रकबा 0.32 है0, कुल किता 12 का कुल रकबा 3.82 हैक्टेयर भूमि स्थित है, जिनको गत खसरा [illegible] तथा उक्त भूमियां ही वादपत्र में विवादिग्रस्त है। जिसे वा[illegible] [illegible] से संबोधित किया गया है। विवादग्रस्त भूमि [illegible] के नाम से दर्ज रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कर्मचारी (फास्ट ट्रैक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

रही हैं। उक्त भूमियों को वादीगण के पिता/ससुर/दादा/पड़दादा छीतर, मदन व सायरमल द्वारा मूल्यवान प्रतिफल अदा कर खरीद की गई थी, जिसमें 3/4 भाग भूमि का विक्रय पत्र सोनाथ व लादुपुरी द्वारा वादीगण के पिता/ससुर/दादा/पड़दादा के हक में राजस्व रिकॉर्ड में तस्दीक करवा दिया गया था, शेष भूमियों में लालुपुरी के 1/4 भाग को भी वादीगण के पिता/ससुर/दादा/पड़दादा द्वारा खरीद कर प्रतिफल राशि 2000/– रुपये अदा कर दी गई थी तथा उसी समय मौके पर सम्पूर्ण भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। जिसकी लिखावट भी प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के पिता लालुपुरी द्वारा वादीगण के पिता/ससुर/दादा/पड़दादा के हक लिखी गई थी। उक्त भूमियों की सिंचाई वादीगण के पिता/ससुर/दादा/पड़दादा द्वारा चाह खसरा नं0 3763 में बने हुए कुए से जा रही थी। तत्पश्चात् वर्तमान में उक्त चाह नम्बर में किये गये बोरिंग से फसल सिंचाई करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमियों को खरीद करने के उपरान्त वादीगण द्वारा नियमित लगान सरकार को भी अदा किया जाता रहा है। वादीगण के पिता/ससुर/दादा/पड़दादा द्वारा लालुपुरी से उसके निहित हक हिस्से 1/4 भाग को मूल्यवान प्रतिफल अदा कर खरीद करने के उपरान्त वादीगण के पिता/ससुर/दादा/पड़दादा द्वारा लालुपुरी को उसके जीवनकाल में उक्त 1/4 हक हिस्से की भूमि को नाम करवाने के लिए अनेकों मर्तबा निवेदन किया गया जिस पर लालुपुरी द्वारा अपने जीवनकाल में वादीगण के पिता/ससुर/दादा/पड़दादा को आश्वासन दिया गया कि तुम मौके पर काबिज काश्त हो जल्द ही मैं आपके नाम भूमि नाम करवा दूंगा लेकिन वादीगण के पिता/ससुर/दादा/पड़दादा के बार–बार तलब व तकाजा करने के उपरान्त भी लालुपुरी द्वारा 1/4 हिस्से की भूमि नाम नहीं करवाई गई इसके उपरान्त लालुपुरी का स्वर्गवास हो गया तथा वादीगण के पिता/ससुर/दादा/पड़दादा का भी स्वर्गवास हो गया। इसके उपरान्त वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 जोकि स्व0 लालुपुरी के विधिक वारिसान हैं से सम्पर्क कर राजस्व रिकॉर्ड में लालुपुरी के नाम दर्ज हक हिस्से 1/4 भाग की खातेदारी वादीगण के नाम से करवाने के लिए निवेदन किया गया जिस पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 वादीगण को खातेदारी नाम करवाने का आश्वासन देते रहे लेकिन अब वर्तमान जमीनों की बाजारु कीमतें बढ़ जाने के कारण प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 की नियत में फितूर आ गया तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 द्वारा वादीगण को लालुपुरी के नाम से दर्ज 1/4 भाग को वादीगण के नाम करवाने में टालमटोल करने लगे तथा संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। दिनांक 25.03.2024 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 से सम्पर्क कर लालुपुरी के नाम दर्ज 1/4 भाग की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाने के लिए कहने पर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने वादीगण के पिता/ससुर/दादा/पड़दादा द्वारा खरीद की गई भूमि 1/4 भाग को नाम करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा वादीगण को ऐलानियां धमकी देकर कहा गया कि हम लालुपुरी के नाम दर्ज 1/4 भाग का नामान्तकरण अपने नाम खुलवाकर विवादित आराजियात का बेचान, हस्तान्तरण कर दोगे ... करके वादीगण को मौके से जबरिया बेदखल करने की ऐलानियां धमकी दी ... जिस कारण वादीगण द्वारा उक्त वादपत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक ... (फास्ट ट्रैक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण द्वारा वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती का डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 के पिता लालुपुरी का नाम विवादित आराजियात से हजफ किया जाकर कब्जे के आधार पर लालुपुरी के दर्ज हिस्से 1/4 भाग में से वादीगण सं0 1 व 2 के हक में 1/3 भाग तथा वादीगण सं0 13 ता 22 के हक में 1/3 भाग अर्थात् वादीगण के हक में विवादित आराजियात के 1/4 भाग में से 2/3 भाग की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जावे। वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 विवादित आराजियात में लालुपुरी के नाम दर्ज 1/4 भाग को अन्य दीगर व्यक्ति, संस्था को हस्तानान्तरित नहीं करें, ना ही वादीगण को विवादित आराजियात में निहित वादीगण के शामलाती कब्जेकाश्त एवं पुश्तैनी हक हिस्से की भूमि के शान्तिपूर्ण उपयोग–उपभोग से ही वंचित करें, ना ही निर्माण सामग्री डलवायें, ना ही वादीगण के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार का कोई व्यवधान ही कारित करें तथा प्रतिवादीगण सं0 7 विवादित आराजियात बाबत किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन–परिवर्धन नहीं करें तथा प्रतिवादीगण सं0 8 विवादति आराजियात बाबत किसी विक्रय पत्र एवं लेख पत्र के अपने समक्ष प्रस्तुत होने पर उसे तसदीक नहीं करें अर्थात् उपरोक्त समस्त कृत्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन के जरिये करवायें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तामील करवाई गई। प्रतिवादीगण तामील होने के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, जिनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 सीपीसी का इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र के प्रतिवादी सं0 3 ता 12 द्वारा प्रतिवादी सं0 1 ता 6 से मिलीभगत कर ली गई है जिस कारण वादीगण सं0 3 ता 12 को बतौर परफोर्मा प्रतिवादी पक्षकार बनाया जावे। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण सं0 3 ता 12 को बतौर परफोर्मा प्रतिवादी सं0 11 ता 20 के रूप में पक्षकार संयोजित किये जाने के आदेश पारित किये गये। जिनकी पालना में वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष संशोधित वादपत्र प्रस्तुत किया गया।

वादीगण द्वारा मौखिक साक्ष्य के रुप में गवाह PW1 रामपाल, गवाह PW2 गोपाल को बतौर साक्ष्य पेश किया तथा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज साक्ष्य के रुप में प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी, प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–3 लिखावट, प्रदर्श–4 गिरदावरियां पेश की गई।

वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादीगण के अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए वादीगण का वाद डिक्री फरमाये जाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से वादीगण द्वारा प्रदर्श–1 हाल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 प्रस्तुत किया गया जिसमें वादीगण व परफोर्मा प्रतिवादी सं0 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:31:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

…ता 20 के पिता / पति / ससुर / दादा रिकॉर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं। वादीगण ने अपने वादपत्र में इस तथ्य का वर्णन किया है कि उक्त भूमि पूर्व में सोमनाथ, शिवसहायपुरी के रही है जिसका 3/4 हिस्सा जरिये विक्रय पत्र वादीगण व परफोर्मा …तिवादी सं0 11 ता 20 द्वारा खरीद कर ली गई थी, जो प्रदर्श–1 से बखूबी साबित होता है। वादीगण द्वारा दस्तावेज प्रदर्श–2 मिलान क्षेत्रफल हाल जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के खसरा नम्बरान का प्रस्तुत किया गया जिस मिलान क्षेत्रफल से विवादग्रस्त भूमि के गत खसरा नं0 1530 होना बखूबी साबित होता है। वादीगण द्वारा प्रदर्श–3 लिखावट सम्वत् 2040 की प्रस्तुत की गई जिसमें प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता लालुपुरी द्वारा भूमि विवादग्रस्त का बेचान वादीगण एवं परफोर्मा प्रतिवादी सं0 11 ता 20 को किया जाकर मूल्यवान प्रतिफल राशि 10,000/– रुपये के पेटे भूमि विवादग्रस्त का बेचान किया जाकर जमीन का कब्जा सम्भला दिया गया। प्रदर्श–3 में लिखा गया है कि जमीन का कब्जा सम्भला दिया गया है, जमीन का कब्जा जमीन पर पहले मेरा था, रजिस्ट्री करवा दूंगा। यह लिखावट राजी खुशी होशोहवास में लिखी है जिस पर प्रतिवादी सं0 1 ता 6 कि पिता लालुपुरी व अन्य के हस्ताक्षर हैं। जिससे विवादग्रस्त भूमि का बेचान वादीगण एवं परफोर्मा प्रतिवादी सं0 11 ता 20 के पिता / पति / ससुर / दादा के हक में किया जाना तथा मूल्यवान प्रतिफल राशि प्राप्त किया जाना साबित होता है तथा उक्त लिखावट से भूमि विवादग्रस्त का कब्जा भी उसी समय सम्भला दिया जाना साबित होता है। प्रदर्श–3 लिखावट से भूमि विवादग्रस्त का बेचान किये जाने से आज तक वादीगण के द्वारा कब्जे के संबंध में गिरदावरियां सम्वत् 2041 से 2044, सम्वत् 2045 से 2048 प्रदर्श–4 के रुप में प्रस्तुत की गई। उक्त गिरदावरियों में वादीगण एवं परफोर्मा प्रतिवादी सं0 11 ता 20 के पिता / पति / ससुर / दादा का नाम बतौर काबिजकाश्त दर्ज है। जिससे वादीगण एवं परफोर्मा प्रतिवादी सं0 11 ता 20 का भूमि विवादग्रस्त पर काबिजकाश्त होना भी बखूबी साबित होता है तथा वादीगण एवं परफोर्मा प्रतिवादी सं0 11 ता 20 द्वारा भूमि विवादग्रस्त का लगान सरकारी राज्य सरकार को अदा किया जाना भी साबित होता है। जिसके संबंध में न्यायालय के रिकॉर्ड पर ऐसी कोई उज्र आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई है जिससे की वादीगण एवं परफोर्मा प्रतिवादी सं0 11 ता 20 का भूमि विवादग्रस्त पर कब्जाकाश्त नहीं हो तथा वादीगण एवं परफोर्मा प्रतिवादी सं0 11 ता 20 के विरुद्ध इस प्रकार की उपधारणा की जा सके।

समस्त विवेचनानुसार न्यायालय अभिमत में वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 का अंतिम डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजियात वाके ग्राम बावड़ी, पटवार हल्का तिगरिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी भूमि हाल खाता सं0 147 के आराजी खसरा नं0 3761 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 3771 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 3772 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 3773 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 3774 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 3775 रकबा 0.3… है0, खसरा नं0 37.. रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 3777 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 3782 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 3783 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 3784 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 37.. रकबा 0.18 है0, कुल किता 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:31:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक …
(फास्ट ट्रैक)
चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

...ा कुल रकबा 3.82 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता लालुपुरी का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण सं0 1 व 2 के 1/3 भाग व वादीगण सं0 3 ता 12 के 1/3 भाग व परफोर्मा प्रतिवादी सं0 11 ता 20 को 1/3 ...ग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को तहरीर जारी हो।

अंतिम डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रै0/मु0)
चौमूँ

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:22 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–38 / 2024
उनवान–रामपाल वगै0 बनाम सायर वगै0
निर्णय दिनांकः–25.11.2024

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0 / मु0),चौमूँ, जयपुर (ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– कनक जैन (R.A.S.)

उनवान

1. रामपाल पुत्र स्व0 छीतरमल
2. रमेश पुत्र स्व0 छीतरमल
समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. चौथी देवी पत्नी स्व0 सायरमल
4. गोपाल पुत्र स्व0 सायरमल
5. मंगलचन्द पुत्र स्व0 सायरमल
6. राजेन्द्र पुत्र स्व0 सायरमल
7. राकेश पुत्र स्व0 सायरमल
समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. ग्यारसी देवी पत्नी मदनलाल पुत्री स्व0 सायरमल
9. मीरा देवी पत्नी महेश पुत्री स्व0 सायरमल
समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
10. आंची देवी पत्नी रमेश पुत्री स्व0 सायरमल
11. संतोष देवी पत्नी कैलाश पुत्री स्व0 सायरमल
समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम हरमाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
12. कमला देवी पत्नी कमलेश पुत्री स्व0 सायरमल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासीयान ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

—वादीगण

बनाम

1. सायर पुत्र लालुपुरी
2. फूलापुरी पुत्र लालुपुरी
3. रामस्वरुप पुत्र लालुपुरी
समस्त जाति गोस्वामी, निवासीयान मठ की ढ़ाणी, ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
4. कमली पत्नी रामूपुरी पुत्री लालुपुरी
5. बरजी पत्नी बंशीपुरी पुत्री लालुपुरी
समस्त जाति गोस्वामी, निवासीयान ग्राम चन्दोली, तहसील पावटा, जिला अलवर।
6. सन्ती पत्नी रामस्वरुप पुरी पुत्री लालुपुरी, जाति गोस्वामी, निवासी ग्राम खेपरिया, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार ज[illegible] तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
8. उपपंजीयक महोदय, उपपंजीयन कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

9. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स हाल पंजाब नेशनल बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल एसबीआई बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
11. मालीराम पुत्र स्व0 मदनलाल
12. महेश पुत्र स्व0 मदनलाल
13. संतोष पुत्र स्व0 मदनलाल

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

14. बरजी देवी पत्नी सेडूराम पुत्री स्व0 मदनलाल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बगवाड़ा, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
15. विमला देवी पत्नी विनोद पुत्री स्व0 मदनलाल, जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम सिवार, जिला जयपुर।
16. गीता देवी पत्नी स्व0 श्रवण पुत्रवधु स्व0 मदनलाल
17. घीसी देवी पत्नी स्व0 मदनलाल
18. ज्योति पुत्री स्व0 श्रवण पौत्री स्व0 मदनलाल
19. मीना पुत्री स्व0 श्रवण पौत्री स्व0 मदनलाल
20. लक्ष्मी पुत्री स्व0 श्रवण पौत्री स्व0 मदनलाल

समस्त जाति बागड़ा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम तिगरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

—प्रतिवादीगण

संशोधित वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नं0ः—38/2024

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 का अंतिम डिक्री किया जाता है कि विवादित आराजियात वाके ग्राम बावड़ी, पटवार हल्का तिगरिया, भू0अ0नि0 क्षेत्र खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में आराजी भूमि हाल खाता सं0 147 के आराजी खसरा नं0 3761 रकबा 0.34 है0, खसरा नं0 3771 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 3772 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 3773 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 3774 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 3775 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 3776 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 3777 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 3782 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 3783 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 3784 रकबा 0.28 है0, खसरा नं0 [illegible] रकबा 0.32 है0, कुल किता 12 का कुल रकबा 3.82 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता लालुपुरी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–38/2024
उनवान–रामपाल वगै0 बनाम सायर वगै0
निर्णय दिनांकः–25.11.2024

... हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण सं0 1 व 2 के 1/3 भाग व वादीगण सं0 3 ता 12 के 1/3 भाग व परफोर्मा प्रतिवादी सं0 11 ता 20 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्त किया जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार चौमूं को तहरीर जारी हो।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 25.11.2024 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....

ओहदा...........

(सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर))

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	4 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	0
जोड़	5	जोड़	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Kanak Jain
Date: 2025.06.05 14:51:22 IST
Reason: SelfAttested

(सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) चौमूं (जयपुर))

Scanned with OKEN Scanner